मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2025 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन ।

संदर्भ :- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2016/ नियम / चार, दिनांक 5 नवम्बर 2016.

राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ता की दर एवं देय भत्तों का निर्धारण वित्त विभाग के सन्दर्भित आदेश दिनांक 5 नवम्बर 2016. द्वारा किया गया है ।

2/ संदर्भित दिशा -निर्देश को अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

(2.1) **कर्मचारियों / अधिकारियों का वर्गीकरण** - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ता के समस्त प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

श्रेणी	वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मेट्रिक्स लेविल
ए	मेट्रिक्स लेविल 14 एवं अधिक
बी	मेट्रिक्स लेविल 13 एवं अधिक पर लेविल 14 से कम
सी	मेट्रिक्स लेविल 10 एवं अधिक पर लेविल 13 से कम
डी	मेट्रिक्स लेविल 06 एवं अधिक पर लेविल 10 से कम
ई	मेट्रिक्स लेविल 06 से कम

<u>(2.2) वाहन भत्ता</u>- ऐसे शासकीय सेवकों को जिन्हें अपने मुख्यालय पर या निकटस्थ क्षेत्रों में शासकीय कार्य से स्वंय के वाहन अथवा सवारी के दूसरे साधन से यात्रा करनी पड़ती है जिसके लिये उन्हें नियामानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होती है, ऐसी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता नियमों के पूरक

नियम 12 के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में देय वाहन की दरें निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती हैं :-

(₹ प्रतिमाह)

शासकीय कर्तव्य पर तय दूरी मासिक औसत (किलोमीटर)	स्वयं की मोटरकार से	सवारी के दूसरे साधन से एक हॉर्स पावर या उससे अधिक शक्ति के वाहन से
201 से 300	1350	550
301 से 450	2050	750
451 से 600	2500	950
601 से 800	3000	1100
800 से अधिक	3700	1250

(2.3) **समेकित दैनिक भत्ता-** समेकित दैनिक भत्ते की दरे पुनरीक्षित कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर) एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों के लिये विशेष दर	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद कानपुर एवं पुणे के लिये विशेष दर
1	2	3	4
ए	375	550	750
बी	300	440	600
सी	225	330	450
डी	185	280	375
ई	125	190	260

(2.4) यात्रा के साधन -लोक वाहक के साधनों से यात्रा करने हेतु निम्नानुसार पात्रतायें निर्धारित की जाती हैं:-

श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
1	2	3	4
ए	इकानॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी
ई	नहीं	केवल स्लीपर तथा गैर वातानुकूलित कुर्सीयान	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

राज्य के भीतर प्रमुख नगरों के लिए सस्ती वायुसेवा के प्रोत्साहन हेतु जारी वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 4-5/2011 / नियम / चार, दिनांक 27-8-2011 के अनुसार ऐसे अधिकारी जो वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में मेट्रिक्स लेविल 13 अथवा इससे अधिक लेविल के अंतर्गत निर्धारित है, ऐसी सस्ती वायु सेवा (राज्य के भीतर) के पात्र होगें ।

माननीय मंत्रीगणों को हवाई जहाज की एक्जिक्यूटिव क्लास / बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा की पात्रता होगी ।

(2.5) **मील भत्ता**- पूरक नियम 25 के अंतर्गत स्वंय के वाहन से यात्रा करने पर मील भत्ते की पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी	मील भत्ते की दर प्रति किलोमीटर ₹ में	अधिकतम सीमा प्रतिमाह ₹ में
1	2	3	4
1.	ए श्रेणी के कार्यपालिक पदों पर नियुक्त अधिकारी, जिन्हे शासकीय वाहन आवंटित नहीं है, को निजी मोटरकार से यात्रा करने पर (मित्र की कार सम्मिलित नहीं है)	9/-	18300/-
2.	सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों द्वारा निजी मोटर साईकल अथवा स्कूटर से यात्रा करने पर	4/-	3700/-
3.	शासकीय सेवक के द्वारा अन्य साधन से शासकीय यात्रा करने पर	2/-	880/-

(2.6) **ठहरने की पात्रता** - यात्रा के दौरान, ठहरने की सुविधा को पुनरीक्षित करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रेणी अनुसार निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

श्रेणी	दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, चैन्नई, बेंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे .	प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा (इन्दौर, भोपाल, जबलपुर ग्वालियर) एवं प्रदेश के बाहर के (कॉलम 2 को छोड़कर) स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर.	प्रदेश के बाहर / महानगर में मित्र / रिश्तेदार के यहां ठहरने पर	म.प्र. पर्यटन विकास निगम के होटल / मोटल के लिये पात्रता
1	2	3	4	5	6
ए	7400	5500	3700	750	ए. सी. डीलक्स कक्ष / ए.सी. कक्ष
बी	5500	4000	2750	660	ए.सी. कक्ष
सी	3700	2800	1850	550	-
डी	2000	1400	920	450	-
ई	1000	700	450	370	-

टीप - उक्त तालिका के कॉलम - 6 अनुसार शासकीय प्रवास पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में उपरोक्त दरों पर केवल एक कक्ष उपलब्ध रहेगा । श्रेणी 'सी', 'डी' एवं 'ई' के शासकीय सेवक के शासकीय प्रवास पर ए. सी. कक्ष में ठहरने पर उन्हें उनकी निर्धारित श्रेणी अनुसार ही प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी एवं अन्तर की राशि शासकीय सेवक के द्वारा ही वहन की जाएगी ।

(2.7) **प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय -**

राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बेंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में शासकीय कार्य से स्थानीय यात्राओं हेतु पात्रता में निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(₹ प्रतिदिन)

क्र.	शासकीय सेवक की श्रेणी.	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि (₹ में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि (₹ में)
1	2	3	4
1	ए	2200	500
2	बी	1500	380
3	सी	1000	300
4	डी	600	200
5	ई	300	100

(2.8) **स्थानान्तरण पर घरेलू सामान का परिवहन**- शासकीय सेवक के जनहित में स्थानातंरण पर निजी सामान की ढुलाई के लिए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्वीकृत दर ₹ प्रति किलोमीटर
1	"ए" एवं "बी"	40
2	"सी" एवं "डी"	25
3	"ई"	15

(2.9) स्थानान्तरण अनुदान शासकीय सेवक का जनहित में स्थानान्तरण होने पर घरेलू सामान को बांधने, खोलने, ट्रक में चढ़ाने एवं उतारने के लिए एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(राशि ₹ में)

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	पुनरीक्षित दर
1	ए	6500
2	बी	5000
3	सी	3600
4	डी	2500
5	ई	1800

3/ यह आदेश दिनांक 01-04-2025 या उसके पश्चात की गई यात्राओं पर लागू होगा। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

4/ मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियमों के संबंधित पूरक नियमों में आवश्यक संशोधन पृथक से जारी किए जावेगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक : एफ 4-1/2025 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि -

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. उपमुख्यमंत्रीजी, वित्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
7. आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन नई दिल्ली
8. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
10. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
12. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
13. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल
14. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल
15. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
16. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
17. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
18. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
19. सचिव, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
20. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
21. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
22. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
23. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
24. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल

25. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग

26. संचालक पेंशन , भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।

27. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश

28. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।

29. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल

30. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ

31. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

32. गार्ड फाईल ।

(अभिषेक चौहान)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग